राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (एनपीईडब्ल्यू) 2001

वीना ढ़ेनवाल
सह आचार्य - राजनीती विज्ञान
राजकीय लोहिया महाविधालय, चूरू (राजस्थान)
Email: dhenwalveena@gmail.com

सारांश

महिला विकास एवं सशक्तीकरण की दिशा में प्रयासरत भारत सरकार द्वारा सन 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण (एनपीईडब्ल्यू) नीति की घोषणा की गई। यह नीति भविष्य के लिए महिलाओं के अनुभव की गई जरूरतों का समाधान करने और उनकी विकास और सशक्तीकरण के विषय में लक्ष्य सहित एक कार्ययोजना है। 13 महिला नीति को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में उद्देश्य तथा द्वितीय भाग में कार्ययोजना को शामिल किया गया है।

महिला नीति के उद्देश्य

इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य / लक्ष्य निर्धारित किये गये–

- जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण अर्थात सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ सके।
- न्यायिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं को महिलाओं की जरूरत के प्रति संवेदी बनाना ।
- सत्ता की हिस्सेदारी में महिलाओं की बराबरी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चत करना ।
- विकास प्रक्रिया में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा का अंग बनाना ।
- महिला के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों तथा संस्थानुगत तंत्र का सुदृढ़ीकरण करना ।
- महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उन्हें सुदृढ़ करना ।
- महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना ।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सिविल सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव कराना।
- स्वास्थ्य देखभाल, गुणात्मक शिक्षा, केरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक व सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी कार्यालयों आदि में महिलाओं की समान पहुँच संभव कराना ।
- अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रिय और उपक्षेत्रीय स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों, प्रतिबद्धताओं और सहयोग का कार्यान्वयन कराना।

महिला नीति में लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न कार्ययोजना तथा प्रभावी प्रयास किये जाने के प्रावधान किये गये–

नीति निर्धारण

विधिक व न्यायिक प्रणालियों को महिलाओं की आवश्यकताओं, विशेष रूप से घरेलू हिंसा और वैयक्तिक हमले के मामलों में अधिक क्रियाशील तथा लिंग सुग्राही बनाया जायेगा। त्वरित न्याय और अपराध की गम्भीरता के अनुरूप दोषियों को दण्डित करने के लिए नये कानून बनाने तथा विद्यमान कानूनों की पुनरीक्षा की जायेगी । महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए विवाह, विवाह–विच्छेद, गुजारा भत्ता और अभिभावकतत्व से सम्बन्धित कानूनों में सुधार किये जायेंगे। साथ ही सम्पत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार से सम्बन्धित कानूनों को लिंग की दृष्टि से न्यायपूर्ण बनाने के प्रयास किये जायेंगे |

निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता

सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने सहित सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने में महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। विधायी, शासकीय, न्यायिक, कोर्पोरेट, संवैधानिक निकायों तथा सलाहकार आयोगों, समितियों, बोर्डो एवं न्यासों आदि सहित प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण वाले निकायों में महिलाओं की समान पहुंच और सहभागिता की गारण्टी के सभी

उपाय किये जायेंगे। इसके लिए महिला आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है तथा महिला अनुकूल वैयक्तिक नीतियां भी बनाने की बात कही गयी है।

विकास प्रक्रिया में लिंग परिप्रेक्ष्य को शामिल करना

विकास की सभी प्रक्रियाओं में महिलाओं का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, कार्यक्रम और प्रणालियां बनाई जायेगी, नीतियों एवं कार्यक्रमों में सुधार किये जायेंगे एवं कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन हेतु समन्वय तथा मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किये जायेगे। लिंग सम्बन्धी मुद्दों तथा महिलाओं के मानवाधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जायेगा। इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु परिचर्चा तथा शैक्षिक सामग्रियों की पुनरीक्षा की जायेगी। सभी सरकारी दस्तावेजों तथा विधिक लिखितों से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले सभी संदर्भों को हटाया जायेगा। महिलाओं की समानता तथा अधिकारिता से सम्बन्धित सामाजिक संदेशों को संप्रेषित करने के लिए जन संचार माध्यमों के भिन्न–भिन्न रूपों का प्रयोग किया जायेगा। नीति और कार्यक्रम निर्माताओं, क्रियान्वयन और विकास एजेन्सियों, कानून प्रवर्तन तंत्रों और न्यायपालिका तथा और सरकारी संगठनों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए, राज्य के कार्यपालक, विधायी तथा न्यायिक प्रकोष्ठों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अपनाये जायेंगे। वर्तमान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार किये जायेंगे। महिलाओं की सक्षमताओं में वृद्धि के लिए आवश्यक समर्थनकारी उपायों के साथ इन्हे आर्थिक और सामाजिक विकल्प उपलब्ध कराकर गरीब महिलाओं को एकजुट करने तथा उन्हें सेवाओं के लाभ प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। ऋण तक महिलाओं की पहुंच में वृद्धि करने के लिए ऋण तंत्र तथा वित्तीय संस्थाओं को स्थापित किया जायेगा तथा मौजूदा ऋण तंत्रों को सुदृढ़ किया जायेगा ।

उत्पादकों तथा कामगारों के रूप में सामाजिक–आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को औपचारिक और गैर– औपचारिक क्षेत्रों में मान्यता दी जायेगी तथा रोजगार और उनकी कार्यदशाओं से सम्बन्धित समुचित नीतियां बनाई जायेगी। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया से निकलने वाले नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यनीतियां बनाई जायेंगी।

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादक के रूप में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संकेन्द्रित प्रयास किये जायेंगे ताकि प्रशिक्षण विस्तार और कार्यक्रमों का लाभ महिलाओं तक पहुंच सके। कृषि क्षेत्रों में महिला कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि सेसम्बद्ध अन्य व्यवसायों जैसे कि बागवानी, लघु पशुपालन सहित मुर्गीपालन, मत्स्यपालन इत्यादि में महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा ।

विभिन्न औधोगिक क्षेत्रों में भागीदारी के लिए महिलाओं को श्रमविधान, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सहायता सेवाओं के रूप में व्यापक सहायता दी जावेगी। महिलाओं को रात्री में कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिये उपयुक्त उपायों जैसे सुरक्षा, परिवहन सुविधा इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी । महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं जैसे कि बाल देखभाल सुविधाएं जिनमें कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थाओं में क्रेच भी शामिल है, सहित वृद्ध एवं निशक्त महिलाओं के लिए गृहों का विस्तार और उनकी व्यवस्था में सुधार किया जायेगा।

महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण

महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, आवास, पर्यावरण एवं प्रोद्यौगिकी विकास इत्यादि को शामिल किया गया है। महिलाओं एवं लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जावेगी। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों का नामांकन बढ़ाने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार व्यावसायिक/ तकनीकि कौशल के साथ–साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवता में सुधार के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन चक्र के सभी स्तरों पर इनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। बाल मृत्यदर और मातृ मृत्युदर को कम करने को प्राथमिकता दी जायेगी। किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । लडकियों और महिलाओं के पोषण सम्बन्धी मामलों में घरों के अंदर भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास किये जायेंगे तथा पोषण शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इसके साथ ही सुरक्षित पेयजल, सीवेज के निस्तारण, शौचालय की सुविधाओं और परिवारों की आसान पहुँच के अंदर स्वच्छता की सुविधाओं का प्रावधान करने में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । एकल महिला, घर की मुखिया, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षणार्थियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित गृह तथा आवास प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का संरक्षण करने और पर्यावरण विकृति को नियंत्रण करने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों का पर्यावरण अनुकूल ढंग से दक्ष प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोन्नत करना, सौर ऊर्जा, बायोगैस, धुंआ रहित चूल्हा इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। विज्ञान एवं प्रोधौगिकी में महिलाओं की भागीदारी के कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जायेगा । इसमें उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को चुनने हेतु लड़कियों को प्रेरित किया जायेगा। वैज्ञानिक मनोदशा और जागृति को विकसित करने के प्रयासों को बढ़ाया जायेगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में इनके प्रशिक्षण के विशेष उपाय किये जायेंगे । अत्यधिक गरीब, निराश्रित, टकराव की स्थिति में रहने वाली महिलाओं, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, अशक्त, विधवाएं, वृद्ध, रोजगार से विस्थापिता, वैवाहिक हिंसा की शिकार, परित्यक्त महिलाएं इत्यादि की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए इन्हें विशेष सहायता प्रदान करने के लिए उपाय और कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेगे

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, घरेलू स्तर पर हो अथवा सामाजिक स्तर पर, जिसमें रीति–रिवाजों, प्रचलित मान्यताओं से उत्पन्न हिंसा शामिल है, से प्रभावी ढंग से निपटा जायेगा । कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एव दहेज जैसी प्रथाओं की रोकथाम के लिए हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए तथा हिंसा करने वाले अपरोधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सहायता संस्थाओं और तंत्रों का निर्माण कर उन्हें सुदृढ़ किया जायेगा। महिलाओं एवं लड़कियों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु संभव उपायों पर विशेष जोर दिया जायेगा |

लड़कियों के अधिकार

निवारक एवं दण्डात्मक दोनों तरह के दृढ़ उपाय अपनाकर लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के हनन को रोका जायेगा। विशेष रूप से प्रसवपूर्व लिंग चयन, कन्या भ्रूण हत्या, शैशवकाल में हत्या, बाल विवाह, बाल दुरूपयोग और बाल वेश्यावृति इत्यादि के विरुद्ध बनाये गये कानूनों को सख्ती से लागू किया जायेगा। परिवार के अंदर और बाहर लड़कियों की अच्छी छवि प्रस्तुत करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जावेगा |

जनसंचार माध्यम

लड़कियों और महिलाओं की मानवीय अस्मिता से संगत छवि प्रस्तुत करने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जायेगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों तथा मीडिया नेटवर्क को सभी स्तरों पर शामिल किया जायेगा। लिंग रूढ़िबद्धता को दूर करने तथा महिलाओं और पुरुषों के संतुलित चित्रांकन को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को आचार संहिता, व्यावसायिक दिशा–निर्देशों तथा अन्य स्व–विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

कार्य योजनाएं

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास के केन्द्रीय एवं राज्य विभागों तथा राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग से परामर्श के माध्यम से इस नीति को लागू करने के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार की जावेगी। बेहतर आयोजना और कानून निर्माण तथा संसाधनों के पर्याप्त आवंटन में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्टता प्राप्त एजेन्सियों के साथ नेटवर्किंग करके लिंग विकास सूचकांक तैयार किये जायेगा। उनके गहन अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने हेतु तंत्र विकसित किया जायेगा |

संस्थागत तंत्र

- महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विद्यामन संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ किया जायेगा।
- नीति के प्रचालन की नियमित निगरानी करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य परिषदों का गठन किया जायेगा। परिषद में मंत्रालय/विभागों, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोगों, समाज कल्याण बोर्ड, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, श्रमिक संघ, वितीय संस्थाओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा ।
- सूचना एकत्रित करने तथा प्रसार करने, अनुसंधान कार्य, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण तथा जागरूकता सृजन कार्यक्रम आदि को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य महिला संसाधन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।
- बुनियादी स्तर पर आंगनबाड़ी, ग्राम/कस्बा स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को संगठित तथा सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सहायता दी जायेगी।

- महिला समूहों को रजिस्टर्ड समितियों में संस्थानीकृत कराने हेतु सहायता दी जायेगी ।

संसाधनों का प्रबंधन

नीति को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त वितीय, मानव तथा बाजारीकृत संसाधनों की उपलब्धता का प्रबंधन संबधित विभागों, वितीय ऋण संस्थाओं तथा बैंकों, निजी क्षेत्रों, सभ्य समाज तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। नोडल मंत्रालय होने के कारण महिला एवं बाल विकासविभाग योजना आयोग के साथ मिलकर गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों दृष्टि से नीति की निगरानी एवं समीक्षा करेगा।

कानून

नीति को क्रियान्वित करने के लिए मौजूदा विधायी संरचना की समीक्षा की जायेगी तथा अतिरिक्त विधायी उपाय किये जायेगे। कानून के कारगर क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जायेगा। हिंसा एवं लिंगभेद सम्बद्ध अत्याचारों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए सभी प्रासंगिक कानूनी उपबंधों का कड़ाई से प्रवर्तन तथा शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जायेगा । कार्यस्थल यौन उत्पीड़न को रोकने तथा दंडित करने, पर संगठित / असंगठित क्षेत्रों में महिला कार्यकत्रियों के संरक्षण और समान पारिश्रमिक एवं न्यूनतम मजदूरी जैसे संगत कानूनों के कड़ाई से प्रवर्तन के उपाय किये जायेंगे ।

केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सभी अपराध मंचों तथा सम्मेलनों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, उनकी घटनाओं, निवारण, जांच तथा अभियोजन की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जायेगी। हिंसा एवं अत्याचार से सम्बद्ध शिकायत दर्ज करने और पंजीकरण, जांच पड़ताल और कानूनी कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए मान्यता प्राप्त, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को प्राधिकृत किया जायेगा ।

पुलिस थानों में महिला प्रकोष्ठों एवं परिवार न्यायालयो को प्रोत्साहन, महिला न्यायालयों, परामर्श केन्द्रों, कानूनी सहायक केन्द्रों तथा न्याय पंचायतों का विस्तार कर उन्हें सुदृढ़ किया जायेगा । साक्षरता कार्यक्रमों में सूचना के अधिकार कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों तथा अन्य हकदारियों के सभी पहलूओं पर सूचना का व्यापक रूप से प्रसार किया जायेगा।

पंचायती राज संस्थाएँ

भारतीय संविधान के 73[29]वे तथा 74 वे संविधान संशोधन ने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता दिलाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सफलता दिलाई है। पंचायती राज संस्थाएं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में केन्द्रीय भूमिका निभा सकती है। अतः महिला नीति के क्रियान्वयन और निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभायेंगी।

स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी

महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी, पुनरीक्षा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से सम्बन्धित काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, संघों, परिसंघों, श्रमिक संघों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों तथा संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए उन्हें संसाधन और क्षमता निर्माण से सम्बन्धित उपयुक्त सहायता प्रदान की जायेगी तथा महिला अधिकारिता की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाया जायेगा |

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

महिला अधिकारिता के सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं, प्रतिबद्धताओं जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध सभी रूपों के भेदभाव पर अभिसमय बाल अधिकार पर अभिसमय" अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन" तथा इस तरह के अन्य लिखितों को क्रियान्वित किया जायेगा। अनुभवों की हिस्सेदारी, विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों के माध्यम से महिलाओं की अधिकारिता के लिए क्षेत्रीय एवंअन्तराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किये जाने की नीति को जारी रखा जायेगा

निष्कर्ष

उपरोक्त सांविधानिक कानूनी समानता, नियमों की विद्यमानता, सरकारी कल्याणकारी नीतियां, महिला संगठनों के प्रयासों के पश्चात भी व्यवहार में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। वर्तमान में भारतीय महिलाओं का शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, राजनीति एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र इन सभी में सार्थक हस्तक्षेप दृष्टिगत हो रहा है। फिर भी समग्र समानता, समाज एवं सरकार, धर्म एवं राजनीति, प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था, विवाह

एवं परिवार, गांव एवं शहर तथा घर एवं बाहर कहीं भी प्राप्त नहीं की जा सकी है। महिला सशक्तीकरण एवं महिला विमर्श का काफी जोर–शोर है, बावजूद सिद्धान्त एवं व्यवहार के बीच चौड़ी खाई स्पष्ट दिखाई दे रही है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में लाभार्थी रहा वर्ग अपने विशेषाधिकारों में किसी प्रकार की कटौती के पक्ष में नहीं है। अतः अभी आधी आबादी (महिलाओं) को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काफी संघर्ष करना होगा।

संदर्भ :

1. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – भारत सरकार
3. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 - भारत सरकार
4. प्रतिवेदन महिला एवं बालविकास मंत्रालय - भारत सरकार
5. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001
6. प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय -भारत सरकार
7. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 – जनगणना एवं सांख्यिकीय विभाग
8. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001
9. प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग
10. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001
11. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रतिवेदन
12. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001
13. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रतिवेदन
14. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001
15. 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम – 1993
16. 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994
17. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रतिवेदन
18. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001
19. अभिसमय – - सीइडीएडब्ल्यू 1993 – विदेश मंत्रालय प्रतिवेदन
20. अभिसमय – बाल अधिकार 2002 (संशोधित 2012)
21. अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन 1994
22. महिला सशक्तिकरण नीति 2001